

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390] No. 390] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 1, 2019/आषाढ़ 10, 1941

NEW DELHI, MONDAY, JULY 1, 2019/ ASHADHA 10, 1941

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 467(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 406 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निधि नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निधि (संशोधन) नियम, 2019 है।
  - (2) ये राजपत्र में 15 अगस्त, 2019 से प्रवृत्त होंगे।
- 2. निधि नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 2 में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
  - "(घ) अधिनियम की धारा 406 की उपधारा (1) के अधीन निधि या परस्पर लाभकारी सोसाइटी के रूप में घोषित प्रत्येक कंपनी"
- 3. उक्त नियमों के नियम 3 में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
- '(घ क) "निधि" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसका निगमन उसके सदस्यों में मितव्ययिता और बचत की आदत को बढावा देने के उद्देश्य से किया गया है, जो केवल उसके सदस्यों से उनके पारस्परिक फायदे के लिए उसके सदस्यों से जमा प्राप्त करती है और उन्हें ऋण देती है और जो कंपनियों के ऐसे वर्ग का विनियमन करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करती है।

3278 GI/2019 (1)

4. उक्त नियमों के नियम 3 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**3क. निधियों की घोषणा**. - केंद्रीय सरकार द्वारा, किसी पब्लिक कंपनी को निधि के रूप में घोषित किये जाने के लिए आवेदन [उसकी फीस सहित प्ररूप एनडीएच-4] प्राप्त होने तथा इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि वह कंपनी इन नियमों के अधीन अपेक्षाओं को पूरा करती है, उस कंपनी को राजपत्र में एक निधि कंपनी के रूप में अधिसूचित किया जाएगा"।

परंतु कि निधि (संशोधन) नियम, 2019 प्रवृत्त होने पर या उसके बाद इस अधिनियम के अधीन निगमित निधि निम्नलिखित की समाप्ति की तारीख के साठ दिन के भीतर प्ररूप एनडीएच-4 फाइल करेगी:-

- (क) इसके निगमन की तारीख से एक वर्ष; या
- (ख) नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन प्रादेशिक निदेशक द्वारा दी गई समय विस्तार की अनुमति की अवधि:

परंतु यह और कि पहले परंतुक में ऐसा कुछ भी किसी निधि को उसमें उल्लिखित अवधि से पहले प्ररूप एडीएच-4 फाइल करने से नहीं रोकेगा;

परंतु यह भी कि यदि कोई कंपनी इस नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है, तो उसे प्ररूप संख्या एसएच-7 (शेयरपूंजी में किसी परिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार को सूचना) और प्ररूप पीएएस-3 (आबंटन की विवरणी) फाइल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- 5. उक्त नियमों में, नियम 4 में-
  - (i) उप-नियम (1) में, "अधिनियम के अधीन निगमित की जाने वाली" शब्दों का लोप किया जाएगा :
  - (ii) उप-नियम (5) में, "के रूप में निगमित प्रत्येक कंपनी" शब्दों का लोप किया जाएगा।
- 6. उक्त नियमों के नियम 5, में-
  - (i) उप-नियम (1) में "इन नियमों के प्रारंभ से" शब्दों के स्थान पर "इसके निगमन की तारीख से" शब्दों को रखा जाएगा।
  - (ii) उप-नियम (3) में, स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-"परंतु कि क्षेत्रीय निदेशक इस अवधि को आवेदन प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक बढ़ा सकेगा।"
  - (iii) उप-नियम (4) में "उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट उपबंधो का अनुपालन न करे" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् "और धारा 406 की उपधारा (1) के अधीन स्वयं को घोषित करवाये" शब्द, कोष्ठक और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे।
- 7. उक्त नियमों के नियम 7 के उपनियम (1) में "साधारण" शब्दों के पश्चात् "पूर्ण प्रदत्त" शब्द अंतस्थापित किए जाएंगे।
- 8. उक्त नियमों के नियम 12 में,-
  - (i) उप-नियम (1) में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
    - "(खक) "निधि" के रूप में घोषणा अथवा अधिसूचना की तारीख";";
  - (ii) उप-नियम (2) के, खंड (क) में "कंपनी रजिस्ट्रार" शब्दों के स्थान पर "राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ" शब्द रखे जाएंगे।
- 9. उक्त नियमों के नियम 23 के उप-नियम (2) में,
  - (i) "संबंधित क्षेत्रीय निदेशक" शब्दों के स्थान पर "केंद्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे;
  - (ii) "ऐसे क्षेत्रीय निदेशक" शब्दों के स्थान पर "केंद्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे;

- (iii) इस परंतुक में "क्षेत्रीय निदेशक" शब्दों के स्थान पर "केंद्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।
- 10. उक्त नियमों में, नियम 23 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

23क. कितपय निधियों द्वारा नियम 3क का अनुपालन:- नियम 2 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी और निधि (संशोधन) नियम, 2019 के प्रारंभ से पूर्व इस अधिनियम के अधीन निगमित प्रत्येक निधि उसके निगमन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या निधि (संशोधन) नियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर, जो भी पश्चातवर्ती हो, नियम 3क के अनुसार स्वयं को भी उस रूप में घोषित करवाएगी:

परंतु कि यदि किसी कंपनी द्वारा इस नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उसे प्ररूप संख्या एसएच-7 (शेयर पूंजी में किसी परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को देना) और प्ररूप संख्या पीएएस-3 (आबंटन की विवरणी) फाइल करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

23ख. पूर्ववर्ती कंपनी विधि के अधीन निधियों के रूप में घोषित कंपनियों द्वारा प्ररूप एनडीएच-4 का फाइल किया जाना:- नियम 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी अपनी स्थिति अद्यतन करने के लिए कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 के अनुसार फीस सहित प्ररूप एनडीएच-4 फाइल करेगी:-

परंतु कि यदि निधि (संशोधन) नियम, 2019 के प्रारंभ होने के छह मास के भीतर प्ररूप एनडीएच-4 फाइल किया जाता है तो इस नियम के अधीन इसे फाइल करने के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं होगी।

परंतु यह और कि यदि कोई कंपनी इस नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है तो उसे प्ररूप संख्या एसएच-7 (शेयर पूंजी में किसी परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को देना) और प्ररूप पीएएस-3 (आबंटन विवरणी) फाइल करने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

11. मूल नियमों में, प्ररूप एनडीएच-3 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

# प्ररूप एनडीएच-4 [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 406 और निधि नियम, 2014 के नियम 3क, नियम 23क और नियम 23ख के अनुसरण में]

निधि कंपनी के रूप में घोषित किए जाने तथा निधियों द्वारा स्थिति के अद्यतन के लिए आवेदन दायर करने हेतु प्ररूप।

प्ररूप भाषा o अंग्रेजी o हिंदी

कार्यकलापों को ही मंजूरी देते हैं।

		_	•	$\sim$	~ ~	_			•	
प्ररूप	दायर	करने	क	लिए	निर्देश	किट	का	सदर्भ	ल	1

यह प्ररूप निम्नलिखित के लिए है o निधि कंपनी के रूप में घोषणा हेतु आवेदन

o निधि के रूप में स्थिति के अद्यन हेतु आवेदन

1	(क). *कारपोरेट पहचान संख्या (	6, 6,
	(ख). कंपनी की वैश्विक अवस्थिति	1 सख्या (जाएलएन)
2	(क). कंपनी का नाम	
	(ख). कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्या	लय का पता
	(ग) फोन	
	(घ) फैक्स	
	(ङ) *कंपनी का ई-मेल पता	
3	*साधारण समादत्त पूंजी	
4.	. आवेदन/स्थिति के अद्यन की तारीख तक	ह सदस्यों की संख्या
5.	. *क्या कंपनी के उद्देश्य उसके संगम ज्ञाप	न और अनुच्छेद के अनुसार केवल अनुमोदित निधि कंपनियों के लिए अनुमत

0 हां 0 नहीं

6. यदि नहीं, तो संगम ज्ञापन गई है।	(एमआए) के ऐसे कार्यकलाप	मों का विवरण दें जिनकी निधि	नियम, 2014 द्वारा मंजूरी नहीं दी
7. (क) <sup>*</sup> क्या कपनी ने o हां o नहीं (ख) यदि हां, तो ब्यौ		त किसी अन्य व्यक्ति के साथ	। कोई वित्तीय लेन-देन किया है।
8 (क) *क्या कंपनी ने निधि नि (ख) यदि नहीं, तो कारण स्	=	ज्या है?	) नहीं
(ख) याद नहा, ता कारण स	1।हत ब्यार द		
9. 'कंपनी द्वारा खोली गई शा	खाओं की संख्या और तारीख	सहित उन स्थानों जहां खोली ग	ई।
शाखाओं के ब्यौरे			
शाखा का नाम	जिला	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खोलने की तारीख
<u>-</u>	9	। पात रिसीमा के भीतर है। 0हां 0न	हीं
संलग्नक 1. कंपनी के प्रस्ताव के समर्थन	ा में निदेशक मंडल के संकल्प <sup>्</sup>	की प्रति संलग्न करें	
2. आवेदन की तारीख तक सद	स्य संख्याओं से संबंधित दो वि	नेदेशकों	
द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र (	200 से कम सदस्यता नहीं हो	ोने चाहिए) संलग्न करें	
3. कंपनी के लेखा-परीक्षकों से	इस प्रभाव का प्रमाण-पत्र कि	कंपनी ने	
निधि नियम, 2014 का अनुप	ालन किया है।	संलग्न करें	
4. अधिसूचना की प्रति जिसके	माध्यम से कंपनी को कंपनी		

अधिनियम, 1956 को या पूर्व कंपनी विधि (जो भी लागू हो)		
अधीन निधि घोषित किया गया था	संलग्न करें	
5. वैकल्पिक अनुलग्नक, यदि कोई हों।	संलग्न करें	संलग्नकों की सूची
		संलग्न हटाएं
<u>घो</u> मेरी सर्वोच्च जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस आवेदन में	<b>षणा</b> <sup>:</sup> दी गई सूचनाएं और इसके संलग्नक	सही तथा पूर्ण हैं।
मुझे निदेशक बोर्ड के तारीखिदिन/ मास/ वर्ष के संव के लिए प्राधिकृत किया गया है।	कल्प द्वारा इस आवेदन पर हस्ताक्षर	करने और इसे प्रस्तुत करने
* <b>डिजिटल हस्ताक्षर किये जाएं</b> कंपनी का प्रबंधक या सचिव या सीईओ या सीएफओ (डीएस पदनाम	नसी बॉक्स)	
निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; प्रबंधक या		
सीइओ या सीएफओ का पैन या कंपनी सचिव		
की सदस्यता संख्या		
व्यवसायरत वृत्ति	क द्वारा प्रमाण पत्र	
मैं यह घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणीकरण के	लिए विधिवत् रूप से नियुक्त किया ग	ाया है। यह प्रमाणित किया

में यह घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणिकरण के लिए विधिवत् रूप से नियुक्त किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के इस प्ररूप की विषयवस्तु और इसके आनुषंगिक विषयों के लिए अवलोकन कर लिया है और मैंने कंपनी द्वारा अनुरक्षित मूल अभिलेखों से उपरोक्त विशिष्टियों (संलग्नकों सहित) जो इस प्ररूप की विषयवस्तु है, का सत्यापन कर लिया है, और उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है तथा इस प्ररूप में कोई जानकारी छिपायी नहीं गई है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि:

- उक्त अभिलेखो को कंपनी के अपेक्षित अधिकारियों द्वारा उचित रूप से तैयार और हस्ताक्षरित किया गया है और इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत उपबंधों के अनुसार रखा गया है और इन्हें उचित पाया गया है;
- ii. सभी अपेक्षित अनुलग्नकों को संपूर्ण रूप से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप से संलग्नक किया गया है। (डीएससी बॉक्स)
  - ० चार्टर्ड अकाउटेंट (पूर्णकालिक व्यवसायरत) या
  - लागत लेखापाल (पूर्णकालिक व्यवसायरत) या
  - कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसायरत)

क्या सहयुक्त है या	। अध्येता	0 सहयुक्त	0 अध्येता		
सदस्यता संख्या		व्यवसाय	प्र संख्या का प्रमाणपत्र		
				के उपबंधों के प्रति भी ध्यान आकृष्ट <sup>†</sup> साक्ष्य के लिए दंड का उपलब्ध है।	 केया जाता
संशोधित करें	जांच प्ररू	म पूर्व संवी	ोक्षा प्रस्तुत करें		
<b>केवल कार्यालय उ</b> ई-प्ररूप सेवा अनुः	•	आरएन)	*	 इलिंग ब्यौरा) की तारीख(दिन/माह	इ/वर्ष)
प्राधिकृत करने वा	ले अधिकारी के	अंकीय हस्ताक्षर			
यह ई-प्ररूप स्वीक	गर किया जाता	है		प्रस्तुतिकरण की पृष्टि करें	
यह ई-प्ररूप अस्वी हस्ताक्षर करने की		*			

[फा. सं. 1/24/2013-सीएल-V (पार्ट)] के.वी.आर. मुर्ति, संयक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, उप खंड (i) के खंड में संख्याक सा.का.नि. 258(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गये थे।

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2019

**G.S.R.** 467(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 406 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013, the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Nidhi Rules, 2014, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Nidhi (Amendment) Rules, 2019.
  - (2) They shall come into force with effect from 15 August, 2019.
- 2. In the Nidhi rules, 2014 (hereinafter referred to as "said rules"), in rule 2, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-
- "(d) every company declared as Nidhi or Mutual Benefit Society under sub-section (1) of section 406 of the Act".
- 3. In the said rules, in rule 3, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-
- '(da) "Nidhi" means a company which has been incorporated as a Nidhi with the object of cultivating the habit of thrift and savings amongst its members, receiving deposits from, and lending to, its members only, for their mutual benefit, and which complies with the rules made by the Central Government for regulation of such class of companies.'

- 4. In the said rules, after rule 3, the following rule shall be inserted, namely:-
- **"3A. Declaration of Nidhis.—** The Central Government, on receipt of application (in Form NDH-4 along with fee thereon) of a public company for declaring it as Nidhi and on being satisfied that the company meets the requirements under these rules, shall notify the company as a Nidhi in the Official Gazette:

Provided that a Nidhi incorporated under the Act on or after the commencement of the Nidhi (Amendment) Rules, 2019 shall file Form NDH-4 within sixty days from the date of expiry of:-

- (a) one year from the date of its incorporation; or
- (b) the period up to which extension of time has been granted by the Regional Director under sub-rule (3) of rule 5:

Provided further that nothing in the first proviso shall prevent a Nidhi from filing Form NDH-4 before the period referred therein:

Provided also that that in case a company does not comply with the requirements of this rule, it shall not be allowed to file Form No. SH-7 (Notice to Registrar of any alteration of share capital) and Form PAS-3 (Return of Allotment).".

- 5. In the said rules, in rule 4, -
  - (i) in sub-rule (1), the words, "to be incorporated under the Act" shall be omitted;
  - (ii) in sub-rule (5), the words "Company incorporated as a" shall be omitted.
- 6. In the said rules, in rule 5, –
- (i) in sub-rule (1), for the words "from the commencement of these rules", the words "from the date of its incorporation" shall be substituted;
- (ii) in sub-rule (3), before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely:-
- "Provided that the Regional Director may extend the period upto one year from the date of receipt of application.".
- (iii) in sub-rule (4), after the words, brackets and figure "contained in sub-rule (1)", the words, brackets and figures "and gets itself declared under sub-section (1) of section 406" shall be inserted.
- 7. In the said rules, in rule 7, in sub-rule (1), after the words "shall issue" the words "fully paid up" shall be inserted.
- 8. In the said rules, in rule 12,—
  - (i) in sub-rule (1) after clause (b), the following clause shall be inserted namely:-
    - "(ba) The date of declaration or notification as Nidhi";";
  - (ii) in sub-rule (2), in clause (a), for the words "Registrar of Companies", the words "Bench of the National Company Law Tribunal" shall be substituted.
- 9. In the said rules, in rule 23, in sub-rule (2),-
  - (i) for the words "concerned Regional Director", the words, "Central Government" shall be substituted;
  - (ii) for the words "such Regional Director", the words, "Central Government" shall be substituted;
  - (iii) in the proviso, for the words "Regional Director", the words, "Central Government" shall be substituted.
- 10. In the said rules, after rule 23, the following rules shall be inserted, namely:-
- **23A.** Compliance with rule 3A by certain Nidhis:- Every company referred to in clause (b) of rule 2 and every Nidhi incorporated under the Act, before the commencement of Nidhi (Amendment) Rules, 2019, shall also get itself declared as such in accordance with rule 3A within a period of one year from the date of its incorporation or within a period of six months from the date of commencement of Nidhi (Amendment) Rules, 2019, whichever is later:

Provided that in case a company does not comply with the requirements of this rule, it shall not be allowed to file Form No. SH-7 (Notice to Registrar of any alteration of share capital) and Form PAS-3 (Return of Allotment).

**23B.** Companies declared as Nidhis under previous company law to file Form NDH-4:- Every company referred in clause (a) of rule 2 shall file Form NDH-4 alongwith fees as per the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 for updating its status:

Provided that no fees shall be charged under this rule for filing Form NDH-4, in case it is filed within six month of the commencement of Nidhi (Amendment) Rules, 2019:

Provided further that, in case a company does not comply with the requirements of this rule, it shall not be allowed to file Form No. SH-7 (Notice to Registrar of any alteration of share capital) and Form PAS-3 (Return of Allotment).

11. In the said rules, after the Form NDH-3, the following form shall be inserted, namely:-

# FORM NDH-4 Form for filing application for declaration as Nidhi [Pursuant to section 406 of the Companies Company and for updation of status by Nidhis. Act, 2013 and rule 3A, rule 23A and rule 23B of the Nidhi Rules, 2014] Form language o English o Hindi Refer the instruction kit for filing the form. \*This form is for: o Application for declaration as Nidhi Company Application for updating of status as Nidhi 1(a). \*Corporate Identification Number (CIN) Pre-fill (b). Global Location number (GLN) of Company 2(a). Name of the company (b) Address of Registered office of the company (c) Phone (d) Fax (e) \*email id of the company 3. \*Equity paid-up capital 4. Number of members as on date of application/ updation of status 5. \*Do the objects of the company as per its memorandum and article of association cover only those activities permitted for approved Nidhi companies o Yes o No 6. If no, give details of any activities in the memorandum of association (MoA) not permitted by Nidhi Rules, 2014.

7(a). \* Whether the company has carried out any financial dealings with any person other than its members.

o Yes o No

Remove Attachment

#### **Declaration**

To the best of my knowledge and belief, the information given in this application and its attachments is correct and complete.
have been authorised by the board of directors' resolution dated (DD/MM/YYYY) to sign and submit this application
*To be digitally signed by
Director or manager or secretary or CEO or CFO of the company  DSC Box
Designation
DIN of the director; PAN of the manager or CEO or CFO or membership number of company secretary
declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone hrough the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereunder for the subject matter of this form and matters neidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original/certified records naintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that:  i. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;  i. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.  To be digitally signed by  DSC Box  Chartered accountant (in whole-time practice); or  Cost accountant (in whole-time practice); or  Company secretary (in whole-time practice)  Whether associate or fellow Associate Fellow  Membership number  Certificate of Practice number
Note: Attention is also drawn to provisions of Section 447, section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for fraud, punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.
Modify Check Form Prescrutiny Submit
For office use only:  eForm Service request number (SRN)  Digital signature of the authorising officer This e-Form is hereby approved This e-Form is hereby rejected  Confirm Submission  Date of signing  (DD/MM/YYYY)

[F. No. 1/24/2013-CL-V(Part)]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section of Sub-section (i) vide number G.S.R.258 (E), dated the 31st March, 2014.